

कार्यालय

मुख्य

अग्नि

शमन

अधिकारी

देहरादून।

पत्रांक: न-20/असुव्य (106)/20-21

दिनांक: फरवरी 14, 2020

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक

होटल आर0 डी0 इन (Hotel RD INN)

कैनाल रोड बाईपास विकासनगर


जनपद-देहरादून।

सन्दर्भ:-

अग्निशमन एवं आपात सेवा उल्लंघन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये युनिक नम्बर 15761996 दिनांक 07.02.2020 के सम्बन्ध में।

आपके होटल का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी विकासनगर द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 12-02-2020 में आपके होटल में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी विकासनगर की निरीक्षण आख्या दिनांक 12-02-2020 के आधार पर आपके होटल हेतु दिनांक 14-02-2020 से 13-02-2021 तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा। निर्देशित किया जाता है कि भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगे। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।


(एन0 एस0 कुंवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।